

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक :- मुसप्र/2021/356

दिनांक:- १५०८/२०२१

### आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की मानपुर आवासीय योजना तथा आकराभट्टा आवासीय योजना, आबू रोड में उपलब्ध विभिन्न आय वर्ग के कुल 55 स्वतंत्र आवासों का निस्तारण ई-सबमिशन (बिना छूट के) के 156 किश्तों में किराया क्रय पद्धति के माध्यम से अनुशंसा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	आवास संख्या	योजना का नाम	आय वर्ग
1	1-सी-1	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
2	1-सी-72	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
3	1-सी-2	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
4	3-सी-36	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
5	3-सी-37	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
6	3-सी-59	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
7	3-सी-58	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
8	2/185	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
9	3-बी-2	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
10	3-सी-60	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
11	3-ए-23	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
12	3-ए-20ए	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
13	3-ए-21	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
14	3-सी-38	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
15	3-बी-33	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	MIG-B
16	3-बी-30	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	MIG-B
17	3-बी-34	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	MIG-B
18	3-ए-10	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	MIG-A
19	1-सी-21	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
20	1-सी-39ए	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
21	1-सी-60	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
22	1-सी-30	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
23	1-सी-50	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
24	1-सी-34	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
25	1-सी-43	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
26	1-सी-28	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
27	1-सी-51	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
28	3-बी-41	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	MIG-B
29	1-सी-25	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
30	2/91	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
31	1-सी-42ए	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS

32	2/81	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
33	1-सी-52	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
34	1-सी-45	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
35	1-सी-42	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
36	1-सी-31	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
37	1-सी-58	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
38	1-सी-44	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
39	1-सी-40	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
40	1-सी-46	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
41	1-सी-19	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
42	1-सी-48	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
43	1-सी-22	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
44	2/95	मानपुर आवासीय योजना शहर आबूरोड	EWS
45	2/182	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
46	1-सी-64	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
47	1-सी-29	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
48	3-सी-39	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
49	2-एफ-15	आकराभट्टा आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
50	2-डी-202	आकराभट्टा आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
51	2-डी-219	आकराभट्टा आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
52	2-डी-213	आकराभट्टा आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
53	2-डी-210	आकराभट्टा आवासीय योजना, शहर आबूरोड	LIG
54	2-एफ-85	आकराभट्टा आवासीय योजना, शहर आबूरोड	EWS
55	3-बी-22	मानपुर आवासीय योजना, शहर आबूरोड	MIG-B

उपरोक्त वर्णित कुल 55 स्वतंत्र आवासों के संबंध में प्रदत्त उक्त स्वीकृति उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंसा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक 05.07.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगी, जो निम्नानुसार है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/ 2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।

*[Signature]*


4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को संबंधित पत्रावली पर माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 21/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
(कश्मी कौर)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सम्पदा प्रबन्ध व, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पाली, राजस्थान आवासन मण्डल, पाली।
8.  संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
सम्पदा प्रबन्धक (मु.)